

(ख) असम के लखीमपुर जिले में डिब्रूगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने विधान सभा में एक विधेयक पहले ही पेश कर दिया है। विधेयक के अधिनियमित होने तथा विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यौरे तैयार करने में अभी कुछ समय लगेगा। जहां तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय का संबंध है, विश्वविद्यालय कहां और कब स्थापित किया जाए इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे विश्वविद्यालय पर चार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय 'समझी' जाने वाली संस्था स्थापित करने के अन्य प्रस्ताव से संबंधित प्राक्कलन अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

Special Police Establishment, Puri Branch

1770. { Shri Ramachandra Ulaka.
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) The number of inquiries instituted against the State and Central Government officials in Orissa during 1964-65 so far by the Special Police Establishment, Puri Branch; and

(b) the number of cases in which inquiries have been completed and punishment awarded during the same period?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library, see No. LT-4110/65].

Grants to Orissa for Primary and Secondary Education

1771. { Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Rama Chandra Mallick

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the amount of grants and loans actually advanced to Orissa Govern-

ment for Secondary Education during 1964-65; and

(b) the amount proposed to be given to the State for the purpose during 1965-66?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) A sum of Rs. 3.49 lakhs was allotted to Orissa for 1964-65 for the Centrally Sponsored Scheme of Improvement of Secondary Education but no loan for this purpose has been given.

(b) Allocation for 1965-66 has not been made.

Declaration of Scheduled areas in Tripura

1772. **Shri Dasaratha Deb:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether any representation has been received by Government on the demand for declaring Scheduled Areas for Tribals in Tripura as prescribed by the Dhebar Commission; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Government have received some representations for declaring certain areas as Scheduled Areas in Tripura. The recommendations of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission in this regard are contained in para 49.7 of Chapter 49 and Summary of recommendations Nos. 9 and 10 of Chapter 8 of their Report. are laid on the table of the House. [Placed in library, see No. LT-4111/65]. The 'alternative approach' suggested by the Dhebar Commission viz. that the tribal areas should be grouped under Tribal Development Blocks, has been accepted by the Government of India. The question of scheduling

any areas in Tripura does not, therefore, arise.

Development of Hindi in Orissa

1773. **Shri Rama Chandra Mallick:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the names of voluntary organisations in the State of Orissa which were given grants for development of Hindi in the State during 1964-65;

(b) the amount sanctioned to each of them during the same period;

(c) whether the sanctioned amount was fully utilised or the amount spent so far; and

(d) the details of the amounts sanctioned or proposed to be sanctioned during 1965-66?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) The Utkal Prantiya Rashtrabhasha Prachar Sabha, Cuttack.

(b) Rs. 5,580.00.

(c) The required information is not yet available, as under the terms of the grant, the Sabha is required to submit the audited accounts and utilisation certificate by 20-5-1965.

(d) Applications from Voluntary Hindi Organisations for payment of grants for the year 1965-66 are awaited from the Government of Orissa.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करना

1774. { **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की जगहों के लिये विभागीय उम्मीदवारों की होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में

अनुसूचित जातियों के लिये जगहें सुरक्षित रखने की प्रथा समाप्त करने का आदेश दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह आदेश उन परीक्षाओं के लिये, जिनके नियम नवम्बर, 1963 से पहले बन गये थे, लागू नहीं होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह आदेश 1964 के पूर्वार्द्ध में सेक्शन-आफिसरों के लिये हुई केन्द्रीय सचिवालय की परीक्षा पर भी लागू किया गया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यह आदेश इसी प्रकार की एक परीक्षा के लिये, जिसके नियम अक्टूबर-नवम्बर, 1961 में बने थे और जो मार्च, 1962 में होने वाली थी पर अब अप्रैल 1965 में होने जा रही है, लागू नहीं किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) 8-11-63 को वह आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार द्वितीय श्रेणी अथवा उससे ऊपर के पदों में पदोन्नति या इसके साथ ही विभागीय उम्मीदवारों के लिये सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये कोई जगहें सुरक्षित नहीं रखी जायेंगी। ये आदेश 8-11-1963 से लागू हुए। हां ये उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ विभागीय पदोन्नति समिति ने पुराने आदेशों के अधीन पहले ही चयन कर लिया है अथवा प्रतियोगिता परीक्षा के नियम 8-11-1963 से पहले ही प्रकाशित हो गये हैं।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी (श्रेणी पदों) पर पदोन्नति के लिये जो प्रतियोगी परीक्षा फरवरी 1964 में हुई थी उसके नियम 8-11-1963 से पहले प्रकाशित हुये थे और, इसलिये, उस परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जगहें सुरक्षित रखी गई थी